न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेवतराम बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/3/21	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 200 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 266 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि मे प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है। प्रार्थी का वास्तविक शीर्षक में नाम रेवतराम पि0 घासी है न कि रेवड़ पि0 घासी परन्तु आराजीयात भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रेवतराम के स्थान पर रेवड़ गलत रूप से अंकित हो गया जो काबिले दुरूस्त है। जबकि प्रार्थी का नाम वोटर आई डी, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड सभी दस्तावेजात में रेवतराम ही दर्ज है। आराजीयात में प्रार्थी रेवड़, कल्याण, रामसहाय पि0 घासी हिस्सा 1/3 सही अकिंत होना चाहिए जो गलत रूप से कल्याण, रेवड़, रामसहाय पि0 घासी हिस्सा 1/4 अंकन हो गया है जो काबिले दुरूस्त है। प्रार्थी का नाम तथा हिस्सा रेवन्यु रिकार्ड में गलत रूप से अंकित होने के कारण प्रार्थी को कई बार सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओ मे कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी के द्वारा इस अशुद्व अंकन को कई मर्तबा दुरूस्त करवाने के लिए संबंधित भू अभिलेख अधिकारी तहसीलदार लालसोट के यहां आवेदन भी पेश किया परन्तु आज दिनांक तक न तो प्रार्थी का नाम रेवड़ के स्थान पर रेवतराम शुद्व किया ना ही गलत अंकन हिस्सा 1/4 के स्थान पर हिस्सा 1/3 दुरूस्त किया। दिनांक को प्रार्थी द्वारा तहसीलदार लालसोट के द्वारा न तो प्रार्थी को संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया ना ही प्रार्थी का अंकन दुरूस्त किया। बस इसी वजह से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री पं0 रामबाबू शर्मा एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय	

उपखण्ड अधिकारी

पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 200 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 266 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी में नाम रेवड़ पुत्र घासी दर्ज किया है जबकि प्रार्थी की अन्य दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र पेन कार्ड आदि मे रेवतराम पुत्र घासी होने के कारण शुद्व किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी के अशुद्व नाम रेवड़ पुत्र घासी को विलोपित कर उसके स्थान पर रेवतराम पुत्र घासी शुद्व करवाये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया । जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 200 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 266 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के अशुद्व नाम रेवड़ पुत्र घासी को विलोपित कर उसके स्थान पर रेवतराम पुत्र घासी शुद्व किया जाता है इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०